संख्या-27 /2021/759/26-3-202-1(05)/2021

प्रेषक,

बी0एल0मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक,
समाज कल्याण विभाग/
जनजाति विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

;2. निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
गोमती नगर लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0सिडको टी.सी.-46
विभूतिखण्ड गोमती नगर
लखनऊ।

4. निदेशक,
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त
एवं विकास निगम महानगर
लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग- लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2021

विषयः मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र योजित किया जाना।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र योजित कराये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के पार्श्वांकित पत्रों, जो अन्य के अतिरिक्त समस्त विभागाध्यक्षों को भी सम्बोधित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रतिशपथ पत्र योजित किये जाने, उन्हें तैयार कराये जाने एवं उनकी प्रभावी पैरवी एवं अनुश्रवण के विषय में मार्ग-निर्देश निर्गत किए गये हैं । शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त मार्ग निर्देशों का अनुपालन सम्यक तरीके से निदेशालय स्तर से नहीं किया जा रहा है । ऐसा प्राय: देखने में आया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित ऐसे वादों, जिनमें शासन मात्र प्रोफार्मा/रिमोट पार्टी होते हैं, के निस्तारण के क्रम में दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) हेतु प्रस्तरवार उत्तर शासन स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दिया जाता है, ऐसा करने से एक ओर प्रतिशपथ पत्र योजित करने तथा मामले की प्रभावी पैरवी में अनावश्यक विलम्ब होता है, वहीं दूसरी ओर प्रोफार्मा/रिमोट पार्टी होते हुए भी प्रस्तरवार आख्या के अनुमोदन के क्रम में शासन का महत्वपूर्ण श्रम व समय व्यय होता है। ऐसा किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है तथा प्रकारान्तर से यह शासकीय धन का अपव्यय है, इसे कड़ाई से रोका जाना अभीष्ट है।

क्र.सं	शासनादेश सं0 व दिनांक
1	सं0.195/सात-न्याय0.अनु0प्रकोष्ठ/2010 दिनांक-23.10.2010
2	सं0-690/सात-न्याय0-अनु0प्रकोष्ठ/2010 दिनांक-23.06.2010
3	सं0-1158/सात-न्याय-अनु0प्रकोष्ठ/2010 दिनांक-26.08.2010
4	सं0-7/2018/510/सात-न्याय-अनु0 प्रकोष्ठ/218 दि0-25.09.2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. वर्णित स्थिति में एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिशपथ पत्र योजित किए जाने के क्रम में प्रस्तरवार उत्तर के अनुमोदन प्रक्रिया में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें: -

(1) जिन रिट याचिकाओं के प्रस्तर शासन से सम्बन्धित हैं, या उनमें शासन के किसी आदेश, शासनादेश, नियम/विनियम को चुनौती दी गयी हों, उनके नैरेटिव शासन के सक्षम स्तर से सीधे अनुमोदित कराए जाएं।

(2) उपर्युक्त बिन्दु-1 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तरवार उत्तर/नैरेटिव तैयार करते समय पर्याप्त सतर्कता बरती जाए, प्रस्तरवार उत्तर तैयार करते समय याचिका के विभिन्न प्रस्तरों में उठाए गए बिन्दुओं/तथ्यों की गहनता से छानबीन करते हुए समुचित प्रत्युत्तर एवं प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाए। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि एक सेट पैटर्न पर प्रस्तरवार उत्तर अत्यन्त शीघ्रता से एवं सरसरी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। अधिकांश प्रस्तरों के सापेक्ष यह कथन किया जाता है कि अमुक प्रस्तर पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है अथवा प्रस्तर में किया गया कथन विभाग से सम्बन्धित न होकर शासन से सम्बन्धित है। प्रतिशपथ पत्र में ऐसा कथन नितान्त अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। विभाग एवं शासन ऐसी कोई पृथक इकाई (Entity) नहीं है, जिनके उद्देश्य पृथक है, शासन ने विभागों का सृजन ही इसलिए किया है कि विकेन्द्रीकृत तरीके से शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। वर्णित स्थिति में विभाग एवं शासन में पार्थक्य की भावना ठीक नहीं, प्रत्युत ऐक्य की भावना से समन्वित एवं उत्तरदायित्व भाव से संयुक्त प्रस्तरवार उत्तर तैयार किया जाना अपेक्षित है। ऐसा न होने से मा० उच्च न्यायालय के समक्ष शासन/विभाग का पक्ष कमजोर होता है। प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों का समुचित प्रतिवाद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(3) जिन रिट याचिकाओं में शासन पक्षकर नहीं हैं वहाँ नैरेटिव विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अभीष्ट है। अन्य शब्दों में, ऐसी याचिकाएं जिनमें निदेशालय के किसी आदेश विशेष को चुनौती दी गई हो, उन मामलों में निदेशक स्वस्तर से नियमानुसार परीक्षणोपरान्त विभाग एवं शासन के हित में निर्णय लेकर प्रतिशपथ पत्र योजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) जिन रिट याचिकाओं में शासन केवल प्रोफार्मा/रिमोट पार्टी है, उनमे न्याय विभाग द्वारा पूर्व से तैयार किए गए स्टैण्डर्ड फार्मेट के अनुसार लघु प्रतिशपथ पत्र विभाग के समूह 'क' स्तर के अधिकारी द्वारा दाखिल किया जाए। विभाग के नोडल अधिकारी परीक्षण करके यह प्रमाणित करेंगे कि अमुक याचिका में शासन प्रोफार्मा/रिमोट पार्टी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु न्याय विभाग द्वारा तैयार किया गया स्टैण्डर्ड फार्मेट एतद्वारा संलग्न किया जा रहा है।

(5) वाद से सुविज्ञ अधिकारी/पैरोकार केस से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों सहित मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में मा० न्यायालय में केस निर्धारित होने की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व सम्पर्क स्थापित कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करायें।

(6) रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्रों के समय से दाखिल किए जाने की स्थिति से पैरोकार/नोडल अधिकारी द्वारा शासन/विभाग को पाक्षिक रूप से (प्रत्येक 15 दिन में) अनिवार्यतः अवगत कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन अभीष्ट है निर्देशों से विचलन की स्थिति अनुमन्य नही है। विचलन की स्थिति दण्डनीय होगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

बी0एल0मीणा
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0 27 /2021/759(1)26-3-2021-1(05)/2021तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव न्याय/विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. उपनिदेशक/नोडल अधिकारी (श्री उमापति) , निदेशाल, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त अनुसचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
6. समाज कल्याण अनुभाग-1/2/4 कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ एवं बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In the Honourable Supreme Court of India
Appeal/Special leave petition (civil)N0.....of 10

In the matter of :

A petitioner

Versus

State of U.P. Respondents

SHORT COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. .....STATE OF U.P.

I,.....adult posted as .....present at ..... do hereby solemnly affirm and state as under :

1. That I, the above mentioned person and being well conversant with the facts and circumstances of the present case, am competent and authorized to swear this short counter affidavit on behalf of the Respondent No.I State.

2. That in the present Petition, It is respectfully submitted that the petitioners allege to be aggrieved by the impugned judgement dated passed by.....

3. That is respectfully submitted that it is undisputed that the state government is Proforma party to the present matter and it is not directly concerned with the matter. In this regard it is further submitted that the State Government had no direct role to play in the present dispute.

4. The (name the office or officers) are the only competent authorities to give reply to the issues as raised by the Petitoner.(Department of officer) has been directed to file proper reply/counter/rejoinder in the matter and to take all proper legal steps.

5. That in the facts and circumstances of the case, it is respectfully submitted that as there is no direct *lis* between the petitioner and State of U.P. There being no allegations directly against State of U.P. Petitioner is not entitled to any relief against the answering Respondent State directly.

DEPONENT

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

VERIFICATION:-

Verification at ..... on this the ..... that the contents of the above para's are true and correct to best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।